मुख्य परीक्षा

भारत की आपदा प्रतिक्रिया में राजकोषीय दोष रेखाएं

संदर्भ

2024 के वायनाड भूस्खलन ने बढ़ते जलवायु झटकों के बीच आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारत के राजकोषीय संघीय ढांचे के भीतर बढ़ते केंद्रीकरण और बढ़ते तनाव को उजागर किया।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005- तीन स्तरीय संरचना -

राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा	● **गृह मंत्रालय (एमएमए):** यह आपदा प्रभावित राज्यों, संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा और सशस्त्र बलों आदि के साथ समन्वय करता है। ● **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए):** यह **आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है,** जिसका **गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत** किया गया है और इसकी **अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।** ● **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर):** यह आपदा प्रबंधन पर एक बहु-हितधारक और बहु-निर्णय लेने वाला निकाय है। ○ इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ● **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति:** केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है। ● **सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस):** यह निर्णय लेने में शामिल है कि क्या आपदा के गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हैं। ● **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम):** यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति वकालत के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। ● **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ):** एनडीआरएफ एक विशेषज्ञ प्रतिक्रिया बल है जिसे खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा में तैनात किया जा सकता है।
राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा	● **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष** के रूप में। ○ यह राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करने और संघ द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। ● **राज्य कार्यकारी समिति:** यह राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ○ राज्य का मुख्य सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ○ यह राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा	● जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) आपदा प्रबंधन प्रयासों और योजना के समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

भारत में आपदा प्रतिक्रिया के लिए निधि वितरण प्रणाली -

भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत **दो-स्तरीय आपदा-वित्तपोषण संरचना** का अनुसरण करता है, जो समय-समय पर **वित्त आयोग के अनुदानों द्वारा समर्थित** है।

- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ):** आपदा के बाद तत्काल राहत के लिए धन का प्राथमिक स्रोत।
    - **फंडिंग पैटर्न:**
        - अधिकांश राज्यों के लिए 75:25 अनुपात (संघ: राज्य)।
        - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 अनुपात।
        - वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवंटित।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ):** अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की आवश्यकता वाले "गंभीर प्रकृति की आपदाओं" के लिए उपयोग किया जाता है।
    - **फंडिंग पैटर्न:** बजटीय सहायता और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के माध्यम से पूरी तरह से संघ द्वारा वित्त पोषित।
- **वित्त आयोग अनुदान: 15वां वित्त आयोग (2021-26):** पूरे भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए ₹1.6 लाख करोड़ आवंटित किए गए।
    - इसे प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ/एनडीआरएफ) और शमन निधि (नव संस्थागत) में विभाजित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं -

- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030):** भारत मृत्यु दर, आर्थिक नुकसान, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षति को कम करने और प्रारंभिक चेतावनी कवरेज में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है; राष्ट्रीय योजनाएं सीधे इसकी चार प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हैं।

भारत की बहु-स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया संरचना के लाभ -

- ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन समन्वय को बेहतर बनाता है और संकट के दौरान भ्रम को कम करता है। राष्ट्रीय निकाय नीतियाँ निर्धारित करते हैं, राज्य योजनाएँ बनाते हैं और ज़िले क्रियान्वयन करते हैं, जिससे संरचित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
- सशक्त ज़िला अधिकारियों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर तेज़ी से कार्रवाई। ज़िला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाले डीडीएमए उच्च अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल निकासी, राहत और आपातकालीन उपाय संभव बनाते हैं।
- विशिष्ट राष्ट्रीय क्षमताएँ स्थानीय प्रतिक्रिया को मज़बूत बनाती हैं। एनडीआरएफ पेशेवर खोज और बचाव सहायता प्रदान करता है जबकि राज्य और ज़िले राहत और आश्रय का प्रबंधन करते हैं, जिससे पूरक क्षमता का निर्माण होता है।
- सभी स्तरों पर एक समान लेकिन लचीली योजना। राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला आपदा प्रबंधन योजनाएँ विशिष्ट खतरों के आधार पर स्थानीय अनुकूलन की अनुमति देते हुए मानकीकरण सुनिश्चित करती हैं।
- बड़ी आपदाओं के दौरान संसाधनों का व्यापक उपयोग। पहले स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसके बाद राज्य निधि (एसडीआरएफ) और गंभीर आपदाओं के लिए राष्ट्रीय सहायता (एनडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें) का उपयोग किया जाता है, जिससे सहायता में स्तरीकृत वृद्धि सुनिश्चित होती है।
- वैधानिक भूमिकाओं के माध्यम से जवाबदेही और तैयारी में वृद्धि। प्रत्येक स्तर पर कानूनी रूप से परिभाषित कर्तव्य हैं, जो निगरानी, अनुपालन और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण में सुधार करते हैं।

आपदा प्रतिक्रिया में वर्तमान चुनौतियाँ -

- **आकलित हानियों और वास्तविक वित्तीय सहायता के बीच बढ़ता अंतर राज्य की क्षमता को कम करता है।**
    - उदाहरण के लिए, केरल के वायनाड भूस्खलन (2024) को ₹2,200 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र से केवल ₹260 करोड़ प्राप्त हुए, जो बढ़ती राजकोषीय विषमता को दर्शाता है।

- **पुराने राहत मानदंड वर्तमान पुनर्निर्माण और आजीविका-बहाली आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते हैं।**
    - उदाहरण के लिए, बढ़ती मुद्रास्फीति और निर्माण लागत के बावजूद लगभग एक दशक से मृत्यु के लिए 4 लाख रुपये और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1.2 लाख रुपये जैसी मुआवजे की सीमा को संशोधित नहीं किया गया है।
- **धीमी, विवेकाधीन निधि जारी करने की व्यवस्था समय पर प्रतिक्रिया में देरी करती है।**
    - उदाहरण के लिए, एनडीआरएफ सहायता के लिए बहु-स्तरीय मंजूरी (आईएमसीटी ⟶ एनईसी ⟶ एचएलसी की आवश्यकता होती है, जिससे चक्रवात गाजा (2018) और कर्नाटक बाढ़ (2019) जैसी घटनाओं में महत्वपूर्ण देरी होती है।
- **कमजोर जोखिम मानचित्रण और जोखिम-आधारित योजना से आपदाओं का जोखिम बढ़ जाता है।**
    - उदाहरण के लिए, भारत का 12.6% हिस्सा भूस्खलन-प्रवण होने और बाढ़ के मैदानों के तेजी से विस्तार के बावजूद, शहरी नियोजन और वित्त आयोग का आवंटन वास्तविक खतरे की भेद्यता के साथ खराब रूप से जुड़ा हुआ है।
- **शहरी बाढ़ और जलवायु चरम सीमा स्थानीय निकायों की तैयारियों से आगे निकल जाती है।**
    - उदाहरण के लिए, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों को अतिक्रमित नालों, आर्द्रभूमि के नुकसान और अत्यधिक वर्षा की बढ़ती घटनाओं के बावजूद अप्रचलित जल निकासी प्रणालियों के कारण बार-बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है।
- **एजेंसियों के बीच खंडित संस्थागत समन्वय एकीकृत प्रतिक्रिया में बाधा डालता है।**
    - एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, नगर निकायों और क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच अतिव्यापी जनादेश के कारण अक्सर निकासी, मलबे की निकासी और राहत वितरण में देरी होती है।
- **सीमित सामुदायिक भागीदारी और कमजोर स्थानीय स्तर की लचीलापन योजना।**
    - उदाहरण के लिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं में अक्सर प्रशिक्षित कर्मियों, संसाधनों और प्रारंभिक चेतावनी एकीकरण की कमी होती है, जिससे अंतिम-मील आपदा प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है।
- **दीर्घकालिक शमन और जलवायु अनुकूलन पर अपर्याप्त ध्यान।**
    - उदाहरण के लिए, अधिकांश खर्च अभी भी ढलान स्थिरीकरण, बाढ़-प्रतिधारण प्रणाली और लचीले आवास जैसे संरचनात्मक शमन के बजाय राहत और मुआवजे पर जाता है।
- **दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त पूर्व चेतावनी प्रसार और तकनीकी पहुंच।**
    - उदाहरण के लिए, 2023 सिक्किम जीएलओएफ जैसी घटनाओं ने सेंसर नेटवर्क और संचार चैनलों में कमियों का खुलासा किया, जो समुदायों को केवल कुछ मिनट की चेतावनी प्रदान करते थे।
- **राज्य स्तर पर तैयारी और शमन बजट का कम उपयोग।**
    - उदाहरण के लिए, कैग की रिपोर्ट से पता चलता है कि कई राज्य प्रशासनिक देरी और परियोजना-स्तर की बाधाओं के कारण उपलब्ध आपदा-शमन निधि का केवल 50-70% उपयोग करते हैं।

आपदा लचीलापन के लिए हाल ही में सरकार की पहल -

- **आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 में संशोधन:** यह कार्यकारी समितियों पर पहले की निर्भरता को बदलते हुए, सीधे राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य समकक्षों को नियोजन की जिम्मेदारी सौंपता है।
- **नए तकनीकी और डेटा-संचालित उपकरण**: सरकार ने ICR-ER(आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष) और NDEM लाइट 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और असम बाढ़ जोखिम क्षेत्र एटलस को रोल आउट किया - जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वास्तविक समय की निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और आपदा की तैयारी को बढ़ाना है।
- **भूकंपीय वेधशालाएं 2014 में 80 से बढ़कर फरवरी 2025 तक 168 हो गईं।**
- **BhooKamp ऐप को रीयल-टाइम भूकंप अपडेट के लिए लॉन्च किया गया।**
- **एनडीएमए की भूकंप जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई) परियोजना** 50 शहरों में भूकंप के जोखिम का आकलन करती है, जिसमें 16 और शहरों को कवर करने की योजना है।

भारत में आपदा शासन के लिए आगे की राह -

- आपदा-निधि जारी करने के लिए वस्तुनिष्ठ, डेटा-संचालित ट्रिगर्स को अपनाएं ताकि सहायता विवेकाधीन के बजाय स्वचालित हो जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका में FEMA की प्रति व्यक्ति क्षति सीमा के समान, जो राजनीतिक बातचीत के बिना संघीय समर्थन को सक्रिय करती है।
- चक्रवात, बाढ़ या सूखे के बाद तेजी से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उच्च जोखिम वाले राज्यों के लिए पैरामीट्रिक, उपग्रह-आधारित बीमा शुरू करना, अफ्रीकी जोखिम क्षमता (एआरसी) और कैरिबियन सीसीआरआईएफ के मॉडल का अनुसरण करना, जो 7-14 दिनों के भीतर धन वितरित करता है।
- मेक्सिको के FONDEN की तर्ज पर, वर्षा की तीव्रता, वायु-वेग, भूकंपीय गतिविधि और हानि-से-GSDP अनुपातों का उपयोग करके स्वचालित आपदा-वर्गीकरण तंत्र स्थापित करना, जो तब निधियों को सक्रिय करता था जब ख़तरा मानदंड पूर्व-निर्धारित सीमा को पार कर जाते थे।
- फिलीपींस के त्वरित प्रतिक्रिया कोषों से प्रेरित होकर, ज़िला प्रशासनों के लिए पूर्व-निर्धारित त्वरित-प्रतिक्रिया कोष बनाकर स्थानीय स्तर पर शीघ्र-प्रतिक्रिया वित्तपोषण को मज़बूत करना, जो 24-48 घंटों के भीतर संसाधनों की तैनाती को सक्षम बनाता है।
- केंद्रीय सहायता को राज्य की तैयारी और शमन प्रयासों—विशेष रूप से भूमि-उपयोग नियोजन, लचीले आवास और बाढ़-प्रबंधन निवेश—से जोड़ना, जो ऑस्ट्रेलिया के साझा-ज़िम्मेदारी मॉडल को प्रतिबिंबित करता है जो संघीय सहायता को राज्य-स्तरीय जोखिम-न्यूनीकरण व्यय से जोड़ता है।
- वास्तविक पुनर्निर्माण लागतों को दर्शाने और पूर्वानुमानित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राहत मानदंडों का आधुनिकीकरण और मुद्रास्फीति के साथ अनुक्रमण करना, वैश्विक मानकों से प्रेरणा लेना जहाँ मुआवज़ा ढाँचों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- वित्त आवंटन को निर्देशित करने के लिए जोखिम मानचित्रों, जलवायु अनुमानों और उपग्रह-व्युत्पन्न सूचकांकों का उपयोग करके एक एकीकृत राष्ट्रीय आपदा-जोखिम डेटाबेस का निर्माण करना, जो अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ में उपयोग किए जाने वाले बहु-जोखिम राष्ट्रीय डेटाबेस के समान हो।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के कारण भारत की आपदा-वित्तपोषण प्रणाली दबाव में है। राज्य की ज़रूरतों और केंद्रीय संवितरण के बीच बढ़ता अंतर—जो वायनाड जैसे मामलों में स्पष्ट है—शर्तों और केंद्रीकृत राजकोषीय नियंत्रण की ओर झुकाव को दर्शाता है। सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए, भारत को बातचीत-आधारित, नौकरशाही दृष्टिकोण से हटकर एक पारदर्शी, नियम-आधारित, आँकड़ों-आधारित आपदा प्रबंधन ढाँचे की ओर बढ़ना होगा।

वस्तुनिष्ठ ट्रिगर्स को अपनाकर, वित्त पोषण मानदंडों को संशोधित करके, जोखिम-आधारित आवंटन में सुधार करके, राज्य की स्वायत्तता का विस्तार करके और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर, भारत एक आपदा-प्रतिक्रिया प्रणाली का पुनर्निर्माण कर सकता है जो समय पर, न्यायसंगत और लचीली हो - जो सहकारी संघवाद के संवैधानिक वादे को पूरा करती है जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता है: संकट के दौरान।

प्रारंभिक परीक्षा

हेरॉन MkII यूएवी

संदर्भ

भारत ने अतिरिक्त उपग्रह-संबद्ध हेरोन MkII मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के लिए नए आपातकालीन खरीद आदेश दिए हैं।

हेरॉन MkII यूएवी के बारे में -

- **निर्माता: इसे इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा विकसित किया गया है।**
- **श्रेणी:** यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस (MALE) यूएवी है जिसे मुख्य रूप से खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **सहनशक्ति (Endurance):** यह 35,000 फीट तक उड़ान भरने, लगभग 150 नॉट्स पर क्रूज़ करने और लगभग 45 घंटे तक निरंतर परिचालन बनाए रखने में सक्षम है।
- **क्षमताएँ:** इसमें अत्याधुनिक सेंसर, संचार-खुफिया पेलोड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो लंबी दूरी और दृष्टि की सीमा से परे (Beyond-Line-Of-Sight) परिचालन की अनुमति देती है।

स्रोत: द हिंदू

प्रदूषण दक्षिण और पश्चिम की तुलना में उत्तर भारतीय शहरों को अधिक प्रभावित क्यों करता है?

संदर्भ

हाल ही में एक विश्लेषण 'प्रमुख भारतीय शहरों का वायु गुणवत्ता आकलन (2015-2025)' में बताया गया है कि प्रदूषण भारत के दक्षिणी और पश्चिमी शहरों की तुलना में उत्तरी शहरों को अधिक प्रभावित क्यों करता है।

कारण -

- **सिंधु-गंगा के मैदान में प्रदूषकों का भौगोलिक जाल:** दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी जैसे उत्तरी शहर हिमालय से घिरे एक भूमि से घिरे बेसिन में स्थित हैं, जो एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है जो प्रदूषित हवा को फैलने से रोकता है, जिससे प्रदूषक लंबे समय तक जमा होते हैं।
- **कम हवा की गति और खराब फैलाव की स्थिति:** उत्तरी शहरों की सपाट स्थलाकृति और घनी शहरी संरचनाएं हवा के प्रवाह को कम करती हैं, जिससे दक्षिण और पश्चिम में तटीय या खुले इलाके के शहरों की तुलना में प्रदूषकों का क्षैतिज फैलाव धीमा हो जाता है।
- **शीतकालीन तापमान व्युत्क्रमण प्रदूषण निर्माण को तीव्र करता है:** सर्दियों के दौरान, ग्रहीय सीमा परत पतली हो जाती है, जो ऊपर की गर्म हवा की परत के नीचे ठंडी, घनी हवा को फंसा देती है; यह "शीतकालीन व्युत्क्रमण" ऊर्ध्वाधर मिश्रण को रोकता है, जिससे प्रदूषक जमीन के करीब रहते हैं।
- **दक्षिणी और पश्चिमी शहरों के लिए उपलब्ध तटीय लाभों की कमी:** चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम जैसे शहरों को तेज़ समुद्री हवाओं, उच्च आर्द्रता और बेहतर प्राकृतिक वेंटिलेशन से लाभ होता है, जो प्रदूषकों को तेजी से पतला करते हैं।
- **उत्तरी क्षेत्र में उच्च उत्सर्जन भार:** सिंधु-गंगा का मैदान प्रदूषण के केंद्रित स्रोतों को दर्ज करता है - पराली जलाना, वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक समूह, ईंट भट्टे, थर्मल प्लांट और बायोमास का उपयोग- जो दक्षिण और पश्चिम भारत की तुलना में आधारभूत प्रदूषण स्तर को बहुत अधिक बनाता है।
- **मौसम संबंधी पैटर्न उत्तर में शीतकालीन प्रदूषण को बढ़ाते हैं:** जबकि मानसूनी हवाएं और वर्षा प्रदूषकों को तितर-बितर करने में मदद करती हैं, उत्तर भारत की शुष्क सर्दियां कोई सफाई तंत्र प्रदान नहीं करती हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर हर साल तेजी से बढ़ता है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में वायु प्रवाह पैटर्न अपेक्षाकृत स्थिर रहता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हॉर्नबिल त्योहार

संदर्भ

नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत की गई।

हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में -

- **यह नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक 10 दिवसीय वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इसकी समृद्ध और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को उसकी जातीयता, विविधता और भव्यता के साथ प्रदर्शित करना है।**
- **इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है,** जो लोककथाओं, नृत्यों, गीतों और औपचारिक परिधानों और पुरुषों के सिर की टोपी पर इस पक्षी के पंखों के उपयोग के माध्यम से नागाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा है।
- **इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी।**

तथ्यों

- **पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव (पीपीएचएफ) अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।**
- यह **न्यिशी समुदाय (अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जातीय समूह) द्वारा** मनाया जाता है।

हॉर्नबिल के बारे में -

- उष्णकटिबंधीय पेड़ों के बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए **हॉर्नबिल को "जंगल के माली या किसान"** कहा जाता है।
- वे एशियाई वर्षावनों में सबसे बड़े फलभक्षी (फल खाने वाले पक्षियों) में से एक हैं।
- **ग्रेट हॉर्नबिल केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। (नागालैंड का नहीं)**
- **विविधता:**
  - **दुनिया भर में लगभग 62 हॉर्नबिल प्रजातियां हैं।**
  - **भारत उनमें से 9 का घर है,** जिनमें ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार पाइड, हॉर्नबिल और रूफस-नेक्ड हॉर्नबिल शामिल हैं।
- **रेंज:**
  - यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
  - **भारत में प्रमुख आवास:** नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान (पूरे एशिया में हॉर्नबिल का उच्चतम घनत्व) और पश्चिमी घाट।
- **खतरे:** वनों की अवैध कटाई, वन मंजूरी, मांस और शरीर के अंगों के औषधीय मूल्य के लिए शिकार।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN: असुरक्षित**
  - **WPA:** अनुसूची I
  - **CITES:** परिशिष्ट I.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

काशी तमिल संगमम 4.0

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय 2 दिसंबर 2025 से काशी तमिल संगमम (KTS) 4.0 का आयोजन करने के लिए तैयार है।

तमिल संगमम 4.0 के बारे में -

- **पिछले संस्करण:** पहला केटीएस 2022 में आयोजित किया गया था, इसके बाद 2023 और फरवरी 2025 में संस्करण आयोजित किए गए थे।
- **विषय:** 2025 संस्करण "तमिल सीखें – तमिल करकलम" पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य:** देश भर में तमिल शिक्षा को प्रोत्साहित करना और भारत की शास्त्रीय भाषाई और साहित्यिक परंपराओं के लिए प्रशंसा बढ़ाना।
- **विजन:** एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने के विचार से प्रेरित।
- **समन्वय संस्थान:** आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी।
- **प्रतिभागी श्रेणियां:** छात्र, शिक्षक, लेखक और मीडिया पेशेवर, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, पेशेवर और कारीगर, महिलाएं, और आध्यात्मिक विद्वान और चिकित्सक।
- **KTS 4.0 के तहत प्रमुख पहल:**
  - **ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान (तेनकासी से काशी):** चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, चालुक्य और विजयनगर युगों की

साझा विरासत को प्रदर्शित करते हुए, पांड्य शासक आदि वीर पराक्रम पांड्य के सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को याद करते हुए एक प्रतीकात्मक यात्रा, जिसमें एक शिव मंदिर का निर्माण और क्षेत्र का नाम बदलकर तेनकासी (दक्षिण काशी) करना शामिल है।

- **वाराणसी के स्कूलों में तमिल पढ़ाना:** "तमिल करकलम" अभियान के तहत, हिंदी में कुशल 50 तमिल शिक्षक काशी में छात्रों को तमिल सिखाएंगे।
- **उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए तमिल लर्निंग स्टडी टूर:** काशी के 300 कॉलेज के छात्र सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (सीआईसीटी) द्वारा समर्थित 15 दिवसीय तमिल शिक्षण कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु की यात्रा करेंगे, जिसमें मेजबान संस्थान शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनुभव पर्यटन की व्यवस्था करेंगे।

स्रोत: पीआईबी

जैविक हथियार सम्मेलन (Biological Weapons Convention)

संदर्भ

भारत ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "BWC के 50 वर्ष: वैश्विक दक्षिण के लिए जैव सुरक्षा को मजबूत करना" की मेजबानी की

जैविक हथियार सम्मेलन के बारे में -

- **औपचारिक नाम:** कन्वेंशन का आधिकारिक तौर पर शीर्षक है "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण और उनके विनाश पर निषेध पर कन्वेंशन।
- **जैविक हथियारों की परिभाषा:** इन हथियारों में रोग पैदा करने वाले कारकों का जानबूझकर प्रसार शामिल है - जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रियन, या रिकेट्सिया - या मनुष्यों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए जीवित जीवों से प्राप्त विषाक्त पदार्थ।
- **स्थापना वर्ष:** 1975।
- **सदस्यता:** BWC का लगभग सार्वभौमिक समर्थन 188 राज्य पक्षकारों **(भारत 1974 में शामिल हुआ)** और 4 हस्ताक्षरकर्ता राज्यों - मिस्र, हैती, सोमालिया और सीरिया के साथ है।
  - **गैर-पार्टी राज्य:** पांच देशों- इज़राइल, चाड, जिबूती, इरिट्रिया और किरिबाती ने न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही कन्वेंशन में शामिल हुए हैं।
- **समीक्षा तंत्र:** राज्य पक्ष कन्वेंशन के कामकाज का आकलन करने और इसे वैज्ञानिक, तकनीकी और सुरक्षा वातावरण विकसित करने के लिए अनुकूलित करने के लिए लगभग हर पांच साल में बुलाते हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के एक पूरे वर्ग को गैरकानूनी घोषित करने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है।
  - बीडब्ल्यूसी जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - यह 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का निर्माण और मजबूती करता है, जिसने जैविक हथियारों के केवल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था - लेकिन कब्जे पर नहीं।
  - कार्यान्वयन सहायता इकाई (आईएसयू) प्रशासनिक समन्वय में सहायता करती है, कार्यान्वयन प्रयासों का समर्थन करती है, और समीक्षा सम्मेलनों द्वारा अनिवार्य सार्वभौमिककरण को बढ़ावा देती है।

स्रोत: द हिंदू

खियामनियुंगन जनजाति

संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' संबोधन में खियामनियुंगन जनजाति का उल्लेख किया।

खियामनियुंगन जनजाति के बारे में -

- **वितरण:** पूर्वी नागालैंड(भारत) और उत्तर-पश्चिमी म्यांमार।
  - उनकी बस्तियाँ पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो म्यांमार में चिंदविन नदी तक फैली हुई हैं।

- **विश्वास:** जीववादी, प्रकृति-केंद्रित मान्यताओं का पालन करते है।
    - अनुष्ठानों में अक्सर पशु बलि और प्रतीकात्मक प्रसाद शामिल होते हैं।
    - गांव के पुजारी (आम-पाओ) समारोहों में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
- **अर्थव्यवस्था:** पारंपरिक चट्टान-शहद संचयन प्रथाओं के लिए जाना जाता है
- **प्रमुख त्यौहार:** त्सोकुम सुमाई और खाओत्जाओ से होक-आह सुमाई।

स्रोत: पीआईबी

समाचार में स्थान

गिनी-बिसाऊ

समाचार? गिनी-बिसाऊ में सैन्य शासन लागू किया गया था।

गिनी-बिसाऊ के बारे में -

- **अवस्थिति:** पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है।
- **भूमि सीमाएँ:** उत्तर में सेनेगल और पूर्व और दक्षिण में गिनी के साथ सीमाएँ साझा करता है।
    - **द्वीप:** इसमें कई अन्य अपतटीय द्वीपों के साथ-साथ बीजागोस (बिसागोस) द्वीपसमूह शामिल है।
    - **समुद्री सीमा:** इसके पश्चिमी हिस्से में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है।
- **प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं:**
    - **फ़ुटा दजालोन पठार, बोए पहाड़ियाँ, कोरुबल बेसिन और गाबू मैदान**
    - **प्रमुख नदियाँ: गेबा, कोरुबल, कैचेउ, और अन्य।**

स्रोत: डीडी न्यूज